भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1287

उत्तर देने की तारीख 08 दिसंबर, 2025

सोमवार, 17 अग्रहायण, 1947 (शक)

प्रमुख क्षेत्रों में कौशल-अंतराल

1287. श्री जिया उर रहमान:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में वर्तमान कौशल अंतराल का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षण अवसंरचना को उन्नत करने तथा उद्योग-संबंधी कौशल विकास में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों के युवाओं के लिए उद्यमशीलता हेतु सहायता बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित जिला कौशल समितियों (डीएससी) को स्थानीय रोजगार के अवसरों, कौशल मांग और उपलब्ध प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे की पहचान करके विकेन्द्रीकृत, जमीनी स्तर की कौशल योजना का समर्थन करने के लिए जिला कौशल विकास योजना (डीएसडीपी) तैयार करने का अधिदेश दिया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में चिन्हित इन कौशल अंतरालों को पाटने के लिए फिर सरकारी कौशल कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। उद्योग विशेषज्ञों के नेतृत्व में सेक्टर कौशल परिषद (एसएससी) नियमित रूप से क्षेत्र-वार कौशल जरूरतों का आकलन करने और योग्यता मानकों को निर्धारित करने के लिए कौशल अंतराल अध्ययन करते हैं, जो कार्यबल को उद्योग की आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करते हैं। इसके अतिरिक्त, एनसीएईआर द्वारा संकल्प (आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता) समर्थित राष्ट्रीय कौशल अंतराल अध्ययन सात उच्च विकास वाले क्षेत्रों में कौशल अंतराल का आकलन करने के लिए एक मानकीकृत, डेटा-संचालित ढांचा प्रदान करता है। यह एमएसडीई को उद्योग की मांग और भविष्य की कार्यबल आवश्यकताओं के साथ कौशलीकरण की पहल को संरेखित करने में मदद करता है।

इसके अलावा, भावी कार्यबल की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने, कौशलीकरण की गुणवत्ता में सुधार करने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बाजार की जरूरतों के अनुरूप बनाने तथा प्रशिक्षुओं की रोजगार क्षमता में सुधार करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए हैं:

i. एमएसडीई की योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए उद्योगों के सहयोग से तैयार किए जाते हैं।

ii. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0 के अंतर्गत उद्योग 4.0 की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली भविष्य के जॉब रोल्स को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें ड्रोन, कृत्रिम मेधा (एआई), रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स आदि जैसे उभरते क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा, आईटीआई में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत, उभरती प्रौद्योगिकियों में भविष्य की नौकरियों की माँग को पूरा करने के लिए नए पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं।

iii. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना एक व्यापक नियामक के रूप में की गई है जो तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु नियम और मानक स्थापित करता है। एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग बॉडीज को उद्योग की मांग के अनुसार योग्यताएँ तैयार करनी होती हैं और उद्योग से मान्यता प्राप्त करनी होती है।

iv. प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) फ्लेक्सी एमओयू योजना और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली के माध्यम से आईटीआई छात्रों के लिए उद्योग से जुड़े प्रशिक्षण को सुदृढ़ बना रहा है, और उद्योग के संपर्क और प्रासंगिक कौशल विकास को बढ़ाने के लिए सीएसआर पहल के तहत आईबीएम, सिस्को, फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क, एडब्ल्यूएस और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ साझेदारी कर रहा है।

v. राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) से जुड़े पाठ्यक्रमों में ऑन जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) और रोजगार कौशल के घटक भी शामिल हैं।

vi. एनएपीएस के अंतर्गत शिक्षुता प्रशिक्षण तथा शिक्षुता कार्यक्रमों के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ सहभागिता बढ़ाने को बढ़ावा दिया जाता है।

vii. राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) और प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीओटी) के माध्यम से प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।

viii. स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) पोर्टल को कौशल, रोजगार और उद्यमिता इकोसिस्टम के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में स्थापित किया गया है।

ix. मंत्रिमंडल ने उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशलीकरण एवं नियोजनीयता (पीएम सेतु) योजना को भी मंजूरी दे दी है, जो हब (200)-स्पोक (800) मॉडल के माध्यम से 1,000 आईटीआई के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करेगी।

(ग): कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने अपने स्वायत्त संस्थानों–निस्बड और आईआईई–के माध्यम से आदिवासी समुदायों, महिलाओं, ग्रामीण युवाओं और अन्य वंचित समूहों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई लक्षित पहल की हैं। ये कार्यक्रम देश भर में क्षमता निर्माण, उद्यम सृजन, बाज़ार संपर्क और इकोसिस्टम को मज़बूत बनाने पर केंद्रित हैं। प्रमुख योजनाएँ और उनकी प्रगति इस प्रकार हैं:

1. **प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन)** - जनजातीय कार्य मंत्रालय की इस योजना के अंतर्गत, एमएसडीई विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के उत्थान हेतु वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) में उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कर रहा है। 26.11.2025 तक, कुल 488 वीडीवीके चालू हो चुके हैं और इस योजना के ईडीपी के अंतर्गत कुल 38,386 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

2. **धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) -** जनजातीय कार्य मंत्रालय की इस योजना के अंतर्गत, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय 30 जनजातीय जिलों में कौशल केंद्र स्थापित कर रहा है और 1000 वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) तथा जनजातीय समूहों के क्षमता निर्माण एवं व्यवसाय विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। 01.12.2025 तक, इस योजना के ईडीपी के अंतर्गत 100 मास्टर ट्रेनर ऑफ ट्रेनर्स (टीओटी) और 840 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

3. **स्वावलंबिनी - एक महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम:** कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने नीति आयोग के महिला उद्यमशीलता मंच के सहयोग से, महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2025 में पाँच राज्यों में इस योजना की शुरुआत की। दिनांक 15.11.2025 तक, 302 महिलाओं को ईडीपी के तहत और 82 को संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) के तहत प्रशिक्षित किया गया।

4. **प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम एसजीएमबीवाई योजना)** - मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के सहयोग से, इस प्रमुख योजना के अंतर्गत रूफटॉप सौर उद्यमशीलता पर ईडीपी का आयोजन कर रहा है। इसकी शुरुआत (जुलाई 2024) से लेकर दिनांक 25.11.2025 तक, इस योजना के ईडीपी के अंतर्गत 20,439 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

5. **उचित मूल्य दुकान मालिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम -** एमएसडीई ने उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सहयोग से उचित मूल्य दुकान (एफपीएस) मालिकों के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। दिनांक 25.11.2025 तक, 315 एफपीएस मालिकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

6. उत्तर-पूर्व क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में उद्यमशीलता विकास केंद्र (ईडीसी) और इन्क्यूबेशन सेंटर (आईसी) की स्थापना, विकास और प्रबंधन - इस परियोजना के अंतर्गत, आईआईई ने उत्तर-पूर्व परिषद (एनईसी) के सहयोग से उत्तर-पूर्व क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में 30 ईडीसी और 4 आईसी की स्थापना, विकास और प्रबंधन किया है। 25.11.2025 तक, 8 उत्तर-पूर्व राज्यों में 30 पूर्णतः कार्यात्मक ईडीसी स्थापित किए जा चुके हैं; 60 ईडीसी कर्मचारियों, 582 सलाहकारों और 943 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है, और 150 उद्यमियों को इन्क्यूबेशन के लिए चुना गया है। 116 प्रतिभागियों के साथ चार बूटकैंप आयोजित किए गए हैं, और छह महीने का ऑनलाइन इन्क्यूबेशन कार्यक्रम चल रहा है, जो उत्तर-पूर्व में उद्यमशीलता इकोसिस्टम और स्टार्टअप की तैयारी को सशक्त बना रहा है।

*****